कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

जवाहर भवन, छठा तल।

संख्या–एम0ई0–3/2020/2667

लखनऊ, दिनांक–04 जून, 2020

:::: कार्यालय ज्ञाप ::::

इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–एम0ई0–3/2020/2594–2604, दिनांक–23 मार्च, 2020 के द्वारा कोविड–19 महामारी के संक्रामण से बचाव के दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अपने महाविद्यालय से ही इण्टर्नशिप प्रशिक्षण कराया जाये तथा किसी भी छात्र को अन्यत्र जिला चिकित्सालय/प्रदेश के बाहर से इण्टर्नशिप हेतु अनापत्ति प्रदान न की जाये।

शासनादेश संख्या–513/71–4–2020, दिनांक–06 मई, 2020 के द्वारा एम0बी0बी0एस0 उत्तीर्ण इन्टर्न को कोविड–19 के दृष्टिगत मूल मेडिकल कालेज में योगदान हेतु निदेशित किया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि कोविड–19 महामारी से ग्रस्त रोगियों के उपचार हेतु मेडिकल कालेजों में 10000 बेड्स की व्यवस्था पूरी कर ली गयी है, ऐसे में मेडिकल कालेज में भर्ती होने वाले रोगियों के उपचार तथा अन्य विविध व्यवस्थाओं हेतु इन्टर्न की सहायता मूल्यावान होगी।

कोविड–19 महामारी के समुचित उपचार व्यवस्था के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के बाहर तथा विदेश से एम0बी0बी0एस0 परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को इस कार्यालय के उपरोक्त आदेश दिनांक–23 मार्च, 2020 के कम में शिथिलता प्रदान करते हुए प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/जिला चिकित्सालयों से इण्टर्नशिप किए जाने हेतु अनापत्ति प्रदान किए जाने हेतु एतदद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

(के0के0 गुप्ता)
महानिदेशक

संख्या–एम0ई0–3/2020/